



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
दूरभाष: 011- 25846272, 25846292, 25846295
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/2020-21-

दिनांक:- 31.03.2021

fufonk I ipuk

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला-श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2021-22 (दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2022) की कृषि फसलों एवं फार्म स्थित फलों के बगीचे में विभिन्न कृषि कार्यों को ठेके पर कराने के लिए चक्रवार निविदाएँ दिनांक 06.04.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन 3.30 बजे फार्म अधिकारियों की कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) प्रति चक्र का बैंक ड्राफ्ट जो कि, "नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ" के नाम से सूरतगढ में देय हो धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी। टेण्डर फार्म व नियम शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.0 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है व टेण्डर फार्म रु.236/- (including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी, तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु. 200/- का ड्राफ्ट देना होगा।

ukV%& vijkgu 2-00 cts ds ckn dkbZ VsMj QkeZ ugh fn;k tk; sxk o 3-00 cts ds ckn dkbZ Hkh VsMj QkeZ Lohdkj ughafcd;k tk; sxkA

i zdkd %mRi knu½
d0jk0Qk0]I jnkjx<

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

dUnh; jkT; QkeI I jnkjx<

क्रमांक: – सर./कृषि/20/2020-21

दिनांक: –

कृषि कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2021-22

1. फार्म द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर कार्य करने के इच्छुक ठेकेदार को चक का पूरा कार्य एक वर्ष के लिए ठेका लेने हेतु चकवार रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि, "नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ" के नाम से सुरतगढ में देय हो जो कि फार्म खजांची के पास जमा करवानी होगा और सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि चक प्रभारी से एक दिन पहले मालूम करना होगा।
2. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होंगे, इसके लिए पार्टी को रूपये 100/- (रूपये सौ मात्र) नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
3. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का लेबर फार्म एरिया में पशु नहीं रखेंगे यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
4. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेंगे यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जायेगी।
5. कृषि कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
6. फसल की रोपाई, गुड़ाई तथा कटाई आदि की जांच का कार्य निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
7. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।
8. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक चक का बिल अलग-अलग देना होगा।
9. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल हफ्तेवार प्रस्तुत करना होगा।

yxkrkj ist 2@&

%%2 %%

10. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
11. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।
12. यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।
14. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
15. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।
16. सफल निविदादाता को आवंटित चक में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नहीं किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नहीं होगा।
- 17- यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनों पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

izakd %mRiknu½

निविदादाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल्स कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दूरभाष: jkt; Okej l jnkjx<+¼kt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nscc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक.....

क्रमांक :- सर./कृषि/20/2020-21/

दिनांक: -.....

चक/ चको के नाम.....

VsMj Okej o"l 2021&22 ds d"r k dk; l grw

Ø-l a	dk; l dk foj .k	nja ¼ i; ½
1.	खालों का डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर
2.	प्लेवा व प्रथम पानी लगाना दर प्रति एकड़	
	(अ) मोगे द्वारा
	(ब) स्कूपम्प द्वारा
	(स) टयूबवैल द्वारा (टयूबवैल स्वयं चलाना होगा)
3.	दूसरा व अन्य पानी लगाना दर प्रति एकड़	
	(अ) मोगे द्वारा
	(ब) स्कूपम्प द्वारा
	(स) टयूबवैल द्वारा (टयूबवैल स्वयं चलाना होगा)
4.	मुरब्बे में नयी बट बनाना दर प्रति 250 मीटर
5.	बाँडर हैरो द्वारा बनी बट को कसना दर प्रति 250 मीटर
6.	यूरिया व डी.ए.पी. खाद का बुरकाव करना दर प्रति एकड़
7.	फसलों में कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना कम से कम 15 डोलकी प्रति एकड़ (दर प्रति एकड़)
8.	खरीफ व रबी फसलों में रोगिंग करना दर प्रति एकड़
	(अ) सिंचित
	(ब) असिंचित(सिंचित फसल)(असिंचित फसल)
9.	बिजाई हेतु बीज उपचारित करना दर प्रति क्विंटल
10.	बीज खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना दर प्रति क्विंटल	
	(अ) लादना
	(ब) उतारना
11.	धान की नर्सरी बुवाई हेतु बट बनाना, समतल करना, पानी पर पाटा चलाना तथा धान का बीज नर्सरी लिये छिड़काव करना दर प्रति एकड़
12.	जिप्सम खाद का बुरकाव करना दर प्रति एकड़
13.	धान की नर्सरी उखाड़ना व धान लगाना कम से कम 30-35 पौधे प्रति वर्ग मीटर (दर प्रति एकड़)
	(अ) साधन सहित
	(ब) साधन रहित
14.	धान की फसल एवं नर्सरी से घास निकालना दर प्रति एकड़
	(अ) ज्यादा घास निकालना

	(स) कम घास निकालना
15	उर्द, मूँग, मोठ, ग्वार, ज्वार, भिण्डी, मुंगफली व अन्य खरीफ फसलों में कसोलों द्वारा गुड़ाई करना दर प्रति एकड़	
16	खरीफ फसल, उर्द, ग्वार, ज्वार, भिण्डी, मोठ, मूँग आदि की कटाई करना व इक्ट्ठा करना/कम्बाइन से झुकाई करना दर प्रति एकड़+ नीरा
	(अ) अधिक पैदावार+ नीरा
	(ब) मध्यम पैदावार+ नीरा
	(स) कम पैदावार
17	विभिन्न फसलों से बथुआ/सरसों को उखड़वाना दर प्रति एकड़
18	उर्द, मूँग व अन्य खरीफ फसलों की फसलों की ऊँट के हल से गुड़ाई करना दर प्रति एकड़
19	नहर सफाई करना घास निकालना एक पटरी सहित दर प्रति मीटर
20	नहर सफाई करना मिट्टी निकालना दर प्रति मीटर
21	धान, मूँग, उर्द व अन्य खरीफ फसलों फसलों की रोगिंग करना दर प्रति एकड़
22	चने व पालक आदि की फसलों में ऊँट के हल से गुड़ाई करवाना दर प्रति एकड़
23	चने व पालक आदि की फसल में कसोलो द्वारा निराई, गुड़ाई करवाना	
	(अ) अधिक खरपतवार (दर प्रति एकड़)
	(ब) मध्यम खरपतवार (दर प्रति एकड़)
	(स) कम खरपतवार (दर प्रति एकड़)
24	चने व पालक आदि की फसलों में फॉर्म ट्रेक्टर माउण्टिड पान टाईप कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करवाना दर प्रति एकड़	
25	रबी व खरीफ फसलों में दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना टंकी में दवा इत्यादि मिलाना आदि दर प्रति एकड़	
26	खरीफ व रबी में दवाई का पाइप व गन से ट्रेक्टर द्वारा स्प्रे करवाना दर प्रति एकड़	
27	जिक व यूरिया तथा खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना दर प्रति एकड़	
28	नाली क्षेत्र में नई बट बनाना व कसना प्रति 250 मीटर	
29	रेत मिट्टी से बोरी भरना व लगाना दर प्रति बैग	
30	पेड़ों की गर्थ नापना कटाई व नम्बर लगाना दर प्रति पेड़	
31	बिजली द्वारा टयूबवैल को चलाना प्रति सिफ्ट (आवश्यकता पडने पर) (8 घंटे)	
32	इंजन पम्प ऑपरेटर ड्यूटी प्रति सिफ्ट (आवश्यकता पडने पर) (8 घंटे)	
33	चना फसल की बिजाई करना दर प्रति एकड़	
34	गाजर/मूली का नसरी से उखाडना, काटना, फार्म ट्रेक्टर ट्राली में लादना व खेत में पौधे लगाना दर प्रति एकड़।	
35	गाजर/मूली में निराई गुड़ाई (दर प्रति एकड़)	
36	धनिया की कटाई, इक्ट्ठा करना थ्रेस करके फार्म ट्राली में लादना व उतारना (दर प्रति एकड़)।	
37	अलसी की कटाई, इक्ट्ठा करना थ्रेस करके राँ बीज को फार्म ट्राली में लादना व उतारना (दर प्रति एकड़)।।	
38	गाजर/मूली में नसरी में खुरपी से गुड़ाई करना (दर प्रति एकड़)	
39	गाजर/मुली की कटाई, इक्ट्ठा करना कम्बाइन से झुकाई करना, खलियान साफ करना (दर प्रति एकड़.)	
40	स्प्रिंकलर/पिवोट से सिंचाई करना (दर प्रति एकड़) कम से कम 2 राउंड	
41	स्प्रिंकलर/पिवोट से प्लेवा करना (दर प्रति एकड़) कम से कम 5 राउंड	
42	अलसी, धनिया की फसल में गुड़ाई करना (दर प्रति एकड़)	

43	रबी एवं खरीफ फसलों में प्राइवेट स्प्रेयर से स्प्रे करना दर प्रति एकड़	
44	कटाई उपरांत मोपिंग-अप करना दर प्रति एकड़	
45	पल्ली बनाना दर प्रति पल्ली साइज (6x6 कटटा)	
46	फसलों से पक्षी उड़ाना दर प्रति एकड़	
47	रबी, खरीफ फसलों में चूहा नियंत्रण हेतु चूहों के गढ़ों में सल्फास की गोली डालकर गढ़ों को मिट्टी से बंद करना दर प्रति एकड़	
48	फसलों से विशेषकर निचले क्षेत्रों से पानी निकालना (drain out करना) दर प्रति एकड़	

म | कु , oe-ul jh dk; kd dh nja o"z 2021&22

Ø- I a	dk; Z foof .k	Nk/s iM+1&3 o"z vk; q	cMs iM+3 o"z I s vf/kd vk; q
		nja ¼ i ; ½	nja ¼ i ; ½
1.	नया बाग लगाना व खाली स्थान पर पेड़ लगाना :-		
2	गड़ों का साइज 3x3x3 फुट वृत्ताकार का खोदना खाद डालना मिलाना व गड़ों भरना।
3.	नर्सरी से पौधे को लाकर पेड़ लगाना व पानी डालना (एक बार)।
4	बाग की गुड़ाई का कार्य :- पेड़ों के नीचे बिना जूती जमीन को फावड़े से गुड़ाई करना व तने पर 1-2 फीट तक मिट्टी चढ़ाना पेड़ के नीचे की ऊँची मिट्टी को पेड़ के पास खाली स्थान के गड़ों में फेंकना
5	बाग में खाद उर्वरक कार्य :- खाद उर्वरक डालना, गुड़ाई द्वारा फावड़े से मिलाना।
6	दवाई छिड़काव बाग में फार्म ट्रैक्टर द्वारा स्प्रेयर से पेड़ों पर दवाई का छिड़काव प्रति एकड़	-
7	बाग में कटाई व छंटाई का कार्य :- फलदार पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई, छंटाई करना, कटी लकड़ी को पेड़ों के नीचे से उठाकर खेत से बाहर जलाना।	किन्तू माल्टा अमरूद बैर नीबू
8	बोर्डों पेंटिंग कार्य :- बोर्डों पेंट तैयार करना, कटाई व छंटाई की गई शाखाओं के कटे भाग पर पेंट से पुताई तथा तने पर 1-2 फीट की उंचाई तक पेंटिंग करना पेड़ की शाखा में काले गोंद वाले स्थानों की पुताई करना।
9	जंगली पौधों का वृक्षा रोपण का कार्य:- 1x1x1 फुट साइज का गड़ों खोदना, नर्सरी से पौधे को पिण्डी सहित उखाड़ना व लगाने हेतु ले जाकर लगाना तथा एक बार पानी डालना।
10	पापुलर पौधों की छंटाई करना :-
11	पार्क मेण्टेनेन्स/अन्य कार्य :- फुलवारी की नर्सरी उगाना, पौध लगाना क्यारी बनाना, पानी लगाना, लोन में घास लगाना व हौज की कटाई सफाई, पौधों की पुताई कार्य अन्य कार्य हो जो भी पार्क में हों/पी.आर.डब्लू प्रतिदिन
12	बाग में सुधार कार्य :-		

	सूखे बीमार अवांछित पौधों की 2 फीट गहराई तक जड़ से उखाड़ना व फार्म ट्रॉली में लोड करके स्टोर पर उतारना।
13	बाग में फलदार पौधों की डिसवडिंग करना
14	मूल वृंत (Root Stock) तैयार करना:-		
	(i) जट्टी खट्टी के फल तोड़कर बीज निकालना, क्यारी बनाकर बीज बोना।प्रति किलो
	(ii) पौलीथीन की थैली (बालू+खाद +मिट्टी) मिश्रण से भरना, क्यारी बनाकर लाईन में लगाना व बीज बोना व पानी लगाना।प्रति प्लास्टिक थैली
	(iii) पौलीथीन की थैलियों में निराई व गुड़ाई करना।प्रतिबैड जो भी कम होगा
	(iv) पिण्डी सहित पौधे निकालकर घास में बांधकर पैकिंग करके देना।
	(v) छोटे बीजू पौधों को क्यारी में या पौलीथीन में शिफ्ट करना और पानी लगाना।प्रति पौधा
	(vi) नयी क्यारी 10x1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना।
	(vii) नर्सरी की क्यारी को खुरपी से निराई, गुड़ाई करना(10x1 मी. क्यारी)प्रति बैड
	(viii) बडिंग/ग्राफटिंग से तैयार पौधों को क्यारी बनाकर शिफ्ट करना व पानी लगाना।प्रति पौधा
	(ix) फार्म ट्रेक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर तथा नर्सरी में लाकर उतारना।प्रति ट्रॉली (फार्म ट्रेक्टर) (लोडिंग/अनलोडिंग)प्रति ट्रॉली (प्राइवेट ट्रेक्टर) (लोडिंग/अनलोडिंग)	
	(x) फार्म के ट्रेक्टर ट्राली में गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व बाग में डालना।प्रति ट्राली प्रति ट्राली लादने पर
	(xi) ट्रक में पौधों को चढाना व उतारना।प्रति पौधा
15	पौलीथीन की थैलियों को क्यारी बनाकर क्यारी से क्यारी में लाईन में सेटिंग करना (दर प्रति थैली)प्रति पौधा
16	ग्वार पाठे के सकर्स पौधों को निकालकर देना या क्यारी में लगाना (दर प्रति थैली)प्रति पौधा

टेकेदार के हस्ताक्षर.....

टेकेदार का नाम.....

पता.....

.....

.....

आधार नं०.....

पेन नं०.....

